न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 495/2025

प्रार्थीगण :-

1. उगमसिंह पुत्र स्व. हीराराम
2. कानाराम गोदपुत्र स्व. करनाराम जातियान खारड़िया

वनाम

अप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसील बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण - श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 1- सरकारी पैरोकार

<u>निर्णय</u> दिनांक :- 09/03/26

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 653 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बारानी ए आई हुई है। जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार नये 830 व पुराने 756 है। खसरा संख्या 653 रकबा 0.0405 हैक्टेयर पूर्व में श्री सरकार की खातेदारी भूमि थी। जिसे तत्कालीन तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा हीराराम, करणाराम पिसरान मया सीरवी राठौड को खातेदारी प्रदान की जिसके अनुसार 1/2 हिस्सा हीराराम का व 1/2 हिस्सा करनाराम का निहित व बनता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा खातेदारी प्रदान करने का आदेश की पालना में म्यूटेशन संख्या 293 स्वीकृत किया गया तथा प्रथम बार जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 में म्यूटेशन संख्या 293 का नोट अंकित कर उपरोक्त दोनो खातेदार का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 में म्यूटेशन संख्या 293 का नोट अंकित कर उपरोक्त दोनो खातेदार का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज करते समय लिपिकीय त्रुटिवश हीराराम पुत्र करनाराम दर्ज कर दिया गया जबकि हीराम व करनाराम दोनो भाई है तथा दोनो मयाराम के पुत्र है। म्यूटेशन संख्या 293 में भी हीराराम, करनाराम पिसरान मयाराम सीरवी राठौड दर्ज है। तब से उक्त लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में हीराराम पुत्र करनाराम दर्ज चला आ रहा है। उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि की जानकारी प्रार्थीगण को होने पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी से उक्त लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध किये जाने का निवेदन किया तो प्रार्थीगण के निवेदन को अप्रार्थी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु अप्रार्थी सक्षम नही है। इसलिए राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज हीराराम पुत्र करनाराम के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज हीराराम, करनाराम पिसरान मयाराम शुद्ध किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। हीराराम व करनाराम मयाराम के पुत्र होने के सम्बंध में राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 1 में स्थित भूमि खसरा संख्या 634/2, 637/1,

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 651/4695, 652, 654, 655, 656, 681, 682, 683, 684 की जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021, जमावन्दी सम्वत् 2051 से 2054 व जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058, जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 व चालु जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिससे भी प्रमाणित है कि हीराराम व करनाराम दोनो सगे भाई है व मयाराम के पुत्र है। हीराराम व करनाराम मयाराम के पुत्र होने के सम्बंध में बिलाड़ा चक नं. 1 में स्थित भूमि खसरा संख्या 580, 584, 625, 627, 629, 631, 641, 644, 651 के सम्बंध में खातेदार गुमना, केरा, खरता व जोगा पिसरान रामाजी द्वारा करनाजी व हीराजी पिसरान मयाजी के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड बैचाननामा 06.05.1958 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिससे भी प्रमाणित है कि हीराराम व करनाराम दोनो सगे भाई है व मयाराम के पुत्र है। हीराराम व करनाराम मयाराम के पुत्र होने के सम्बंध में हीराराम का परिचय पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसमें हीराराम के पिता का नाम मयाराम दर्ज है। हीराराम की पत्नी का परिचय पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, जिसमें हीराराम की पत्नी सुन्दरी देवी के पति का नाम हीराराम दर्ज है। इसी प्रकार करनाराम की पत्नी भुरीदेवी का परिचय पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, जिसमें भुरीदेवी के पति का नाम करनाराम दर्ज है। इसके अलावा रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 26.08.1983 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा के जरिये भूरीदेवी बेवा करनाराम द्वारा अपने देवर हीराराम पुत्र मयाराम के ज्येष्ठ पुत्र कानाराम को गोद लिया। उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा में भी करनाराम पुत्र मयाराम व हीराराम पुत्र मयाराम दर्ज है। हीराराम पुत्र मयाराम व करनाराम पुत्र मयाराम दोनो फौत हो चुके है। प्रार्थी संख्या 1 स्व. हीराराम का पुत्र है तथा स्व. हीराराम की पत्नी सुन्दरीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी संख्या 2 स्व. करनाराम का गोद पुत्र है तथा स्व. करनाराम की पत्नी भूरीदेवी का भी स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण के अलावा हीराराम व करनाराम के अन्य कोई वारिस नही है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश किया जा रहा है। लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में हीराराम पुत्र करनाराम दर्ज होने से प्रार्थीगण स्व. हीराराम व स्व. करनाराम का फौतेदगी म्यूटेशन अपने नाम दर्ज नही करवा पा रहे है। इसलिए उक्त लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 1 तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 653 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म ए के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज हीराराम पुत्र करनाराम हिस्सा पूर्ण जाति खारड़िया (सीरवी) सा. देह खातेदार के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज हीराराम पुत्र मयाराम हिस्सा 1/2 जाति खारड़िया (सीरवी) सा. देह खातेदार व करनाराम पुत्र मयाराम हिस्सा 1/2 जाति खारड़िया (सीरवी) सा. देह खातेदार शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावे।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक न.1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि ख.सं. 653 रकबा . 0405 है. किस्म बारानी ए चालु जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में खातेदार हीराराम पुत्र करनाराम के नाम दर्ज है। ख.सं. 653 रकबा 0405 है. पूर्व में श्री सरकार की खातेदारी भूमि थी। म्युटेशन संख्या 293 तत्कालीन तहसीलदार साहब बिलाड़ा द्वारा हीराराम, करनाराम पुत्र मया सीरवी राठौड़ के नाम स्वीकृत किया गया। प्रथम बार जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 में म्युटेशन संख्या 293 का नोट अंकित कर उपरोक्त दोनों खातेदार का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज करते समय लिपिकीय त्रुटिवश हीराराम पुत्र करनाराम दर्ज कर दिया गया। जबकि हीराराम व करनाराम दोनो भाई है तथा दोनो मयाराम के पुत्र है। म्यूटेशन संख्या 293 में भी हीराराम करनाराम पुत्र मयाराम सीरवी राठौड दर्ज। जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 से उक्त लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में हीराराम पुत्र करनाराम दर्ज चला आ रहा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज हीराराम पुत्र करनाराम के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज हीराराम करनाराम पुत्र मयाराम शुद्ध किया जाना उचित है। राजस्व बिलाड़ा ग्राम चक न.1 मे संख्या खसरा भूमि स्थित 634/2,637/1,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,
634/2,637/1,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,
648,649,650,651,651/4695,652,654,655,656,681,682,683,684 की जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021 जमाबंदी सम्वत 2051 से 2054 व जमाबंदी सम्वत 2055 से 2058 जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 व चालु जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में हीराराम, करनाराम पुत्र मयाराम दर्ज है। राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक न.1 स्थित मे खसरा संख्या 580, 584, 625, 627, 629, 631, 641, 644, 651 के सम्बंध में खातेदार गुमना, केरा खरता व जोगा पुत्र रामाजी द्वारा करनाजी व हीराजी पुत्र मयाजी के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड बैचाननामा 06.05.1958 में भी हीराराम करनाराम पुत्र मयाराम दर्ज है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक न.1 तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 653 रकबा 0.0405 है किस्म ए के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2075 से 2078 में लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज हीराराम पुत्र करनाराम हिस्सा पूर्ण जाति खारडिया (सीरवी) सा. देह खातेदार के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज हीराराम पुत्र मयाराम हिस्सा 1/2 जाति बारडिया (सौरवी) सा. देह खातेदार व करनाराम पुत्र मयाराम हिस्सा 1/2 जाति खारडिया (सीरवी) सा. देह खातेदार शुद्ध किया जाना उचित है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरुस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात निर्वाचन पहचान पत्र हिराराम पुत्र मयाराम, मृत्यु प्रमाण पत्र हीराराम पुत्र मयाराम, सुन्दरीदेवी पत्नी हीराराम पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सुन्दरी देवी पत्नी हीराराम, आधार कार्ड उगम सिंह पुत्र हीराराम आदि पेश किये। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 653 रकबा 0.0405 हैक्टयर पूर्व में श्री सरकार की खातेदारी भूमि थी। म्यूटेशन सं. 293 तत्कालीन तहसीलदार द्वारा हीराराम, करनाराम पुत्र मया सीरवी राठौड के नाम स्वीकृत किया गया। प्रथम बार जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में म्युटेशन सं. 293 का नोट अंकित कर उपरोक्त दोनों खातेदार का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज करते समय लिपिकीय त्रुटिवश हीराराम पुत्र करनाराम दर्ज कर दिया गया। जबकि हीराराम व करनाराम दोनों भाई है तथा दोनों मयाराम के पुत्र है म्यूटेशन सं. 293 में भी हीराराम, करनाराम पुत्र मयाराम सीरवी राठोड दर्ज है। उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार बिलाडा द्वारा नाम शुद्धि हेतु सहमति प्रदान की गई। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बिलाडा चक सं. 1 तहसील बिलाडा के खसरा नम्बर 653 रकबा 0.0405 हेक्टयर में जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 में दुरूस्ती की जाकर अशुद्ध इन्द्राज हीराराम पुत्र करनाराम के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज हीराराम पुत्र मयाराम दर्ज किये जाये एवं तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसललशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 09/03/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा